F.No. 15-57/1-NMA/2021 Government of India Ministry of Culture National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Ancient Buddhist Site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi" have been prepared by The Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 and Rule 18 of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011 and the same is uploaded on the following websites:

- 1. National Monuments Authority www.nma.gov.in
- 2. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
- 3. Archaeological Survey of India, Sarnath Circle www.asisarnathcircle.org

Any person having any suggestion or comments may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email id hbl-section@nma.gov.in latest by 18th February 2021. The person making comment or suggestions should also give his name and address.

The objection or comments which may be received before the expiry of the period of 30 days i.e. 18th February 2021 shall be considered by The National Monuments Authority.

(N.T. Paite) 18th January 2021





चौखंडी स्तूप, वाराणसी के लिये धरोहर उप-विधि Heritage Byelaws for Chaukhandi Stupa, Varanasi

भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 के नियम (22) के साथ पठित, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक चौखंडी स्तूप, वाराणसी नामक प्राचीन बौद्ध स्थल के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियम, 2011 के नियम 18, उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

कथित प्रारूप उप-विधियों के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि अध्याय । प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

- (i) इन उप-विधियों को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक चौखंडी स्तूप, वाराणसी नामक प्राचीन बौद्ध स्थल को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।
- (iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह, या कोई गुफा, शैल-मूर्तियां शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हैं-
 - (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
 - (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
 - (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पह्ंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
- (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तिसंगत रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-
 - (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
- (ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;
- (घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से कम रैंक का नहीं है;
- (ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त कम रैंक का न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

- बशर्ते कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;
- (छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें उध्वांकार या क्षेतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और पुनरुद्धार या नालियों और जलिकास संकर्मों तथा सार्वजनिक शौचालयों- मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति का प्रावधान करने के लिए आशियत सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तार, प्रबंध या जनता के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध नहीं हैं;
- (ज) "बेसमेंट अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है; तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;
- (झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;
- (त्र) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सिहत "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं- किसी संरक्षित संस्मारक को बाइ से घेरना, उसे कवर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के पिरिरक्षण या उस तक स्विधापूर्ण पहुँच स्निश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ट) "स्वामी" के अंतर्गत निम्न व्यक्ति शामिल हैं-
 - (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी की संपत्ति के हक- उत्तराधिकारी, तथा
 - (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति को धीमा करना है;

- (ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (थ) "पुनर्निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी समान क्षैतिजीय और ऊर्ध्वांकार सीमाएं हैं;
- (द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।
- (2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय ॥

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।


अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो

- प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमित से हुआ था,विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, प्न:निर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमित सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।
- 2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011, नियम, 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।
- 2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अन्सार विनिर्दिष्ट है:
 - (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और नवीकरण को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
 - (ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
 - (ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय ॥

3.0 केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - चौखंडी स्तूप, वाराणसी नामक प्राचीन बौद्ध स्थल की अवस्थिति एवं विन्यास

- यह 25º22'23.83" उत्तरी अक्षांश, 83º01'29.75" पूर्वी देशांतर जीपीएस निर्देशांक पर स्थित है।
- यह गंज और बराईपुर, सारनाथ में सारनाथ संग्रहालय के निकट स्थित है।
- केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक- चौखंडी स्तूप के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल जिला मुख्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन सारनाथ जंक्शन है और निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर है जो 25.4 किलोमीटर की दूरी पर है।



चित्र 1, प्राचीन बौद्ध स्थल चौखंडी स्तूप, वाराणसी की अवस्थित को दर्शाता गूगल मानचित्र

3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

चौखंडी स्तूप, वाराणसी नामक प्राचीन बौद्ध स्थल की संरक्षित चारदीवारी **अनुलग्नक-।** पर देखी जा सकती है।

3.1.1. एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना/ मानचित्र योजना:

चौखंडी स्तूप, वाराणसी नामक प्राचीन बौद्ध स्थल की राजपत्र अधिसूचना संख्या अनुलग्नक-॥ पर देखी जा सकती है।

3.2. स्मारक/स्थल का इतिहास:

किंवदंतियों के अनुसार चौखंडी वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध बोधगया से सारनाथ के मार्ग में अपने पांच शिष्यों से पहली बार मिले थे। गुप्तकाल (4-6वीं शताब्दी ईस्वी) के दौरान उस साम्राज्य के राजाओं द्वारा संभवतः इस स्थान पर छतनुमा स्तूप का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इस स्मारक के शीर्ष पर मौजूद अष्टकोणीय टावर का निर्माण 1588 ईस्वी में बादशाह अकबर के अनुरोध पर राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा किया गया था। इस स्मारक का निर्माण इसके मूल आकार में ही किया जा रहा था, परन्तु बाद में इसमें इस टावर को भी जोड़ दिया गया। जनरल अलेक्सजेंडर किनंगधम ने स्तूप के ऊपरी भाग में छेद करके एक शाफ्ट बनाया परन्तु तब भी उसे अवशेष मंजूषा के कोई अवशेष नहीं मिले।

3.3. स्मारक का विवरण (वास्त्परक विशेषताएं, घटक, सामग्रियां आदि):

भूतल से 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चौखंडी स्तूप में आयतकार प्लिंथ है जिसके साथ 3 अलग-अलग ऊंचाई की वृत्ताकार टैरेस हैं जिस कारण इसका नाम चौखंडी पड़ा था। किनंगघम ने एक अवशेष चैम्बर की खोज में इसके ठीक बीच से इसकी नींव तक एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट बनाया परन्तु उसके भीतर कुछ भी नहीं मिला। टैरेस की बाहरी दीवारों में मूर्तियों के लिए आले बनाए गए हैं। धर्म चक्र मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध की प्रतिकृति और लियोग्रिफ एवं ग्लेडिएटर को प्रदर्शित करती हुई दो सुंदर उकेरी हुई नक्काशी गुप्त शैली में बनाई गई हैं और यह दर्शाती हैं कि यह स्मारक गुप्त काल के दौरान मौजूद था।

3.4. वर्तमान स्थिति

3.4.1. स्मारकों की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन:

इस स्मारक का परिरक्षण अच्छी तरह से किया गया है।

3.4.2. प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों और कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या:

यह एक बिना टिकट वाला स्मारक है और हर सप्ताह लगभग दो से तीन लोग इस स्मारक को देखने आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0. मौजूदा क्षेत्रीकरण:

स्थानीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में इस स्मारक के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्रीकरण नहीं है।

4.1. स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश:

इसे अनुलग्नक III में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखों में स्पष्ट की गई सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0. प्राचीन बौद्ध स्थल जिसे चौखंडी स्तूप, वाराणसी के नाम से जाना जाता है, की रूपरेखा योजना:

इसे **अनुलग्नक-IV** पर देखा जा सकता है।

- 5.1. सर्वेक्षित डेटा का विश्लेषण:
 - 5.1.1.संरक्षित क्षेत्र, प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण वर्ग मीटर में तथा उनकी मुख्य विशेषताएं:

• **संरक्षित क्षेत्र :** 9182.3172 वर्ग मीटर

• प्रतिषिद्ध क्षेत्र : 69966.1007 वर्ग मीटर

• विनियमित क्षेत्र: 329122.739 वर्ग मीटर

मुख्य विशेषताएं :

स्मारक के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में कोई ज्यादा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन हैं और विनियमित सीमा के दक्षिण में अपार्टमेंट्स सहित कुछ इमारतें हैं। स्मारक के विनियमित क्षेत्र के भीतर पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम तथा उत्तरी दिशा में एक रिहायशी कॉलोनी जिसे अनमोल नगर के नाम से जाना जाता है, स्थित है। विनियमित क्षेत्र में स्मारक अनेक बौद्ध मंदिरों तथा पर्यटकों के लिए होटल से घिरा हुआ है।

5.1.2. निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- उत्तर : उत्तर-पश्चिमी दिशा में निर्मित क्षेत्र के रूप में शैक्षिक भवन जैसे डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति तथा महेश्वर सरदार बालिका स्कूल मौजूद हैं।
- दक्षिण: इस दिशा में आकाशवाणी (प्रसार भारती) केन्द्र तथा दूरदर्शन केन्द्र एवं अतिथि गृह नामत: सिद्धार्थ अतिथि गृह मौजूद है।
- पूर्व: दक्षिण-पूर्व दिशा के निर्मित क्षेत्र में पर्यटकों के लिए अतिथि गृह तथा महाराजा सुहलदेव पार्क मौजूद हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में स्प्रिचुअल विजडम गार्डन और सेंट जॉन स्कूल मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र:

- उत्तर: निर्मित क्षेत्र के रूप में उत्तरी दिशा में रिहायशी आवास और उत्तर-पश्चिमी दिशा में वॉट थाई मंदिर मौजूद हैं।
- दक्षिण: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र के रूप में रिहायशी भवन नामत: दिव्य अपार्ट्मेंट मौजूद है।
- पूर्व : इस दिशा में धार्मिक भवन नामत: जम्बू-दीप श्रीलंका बौद्ध मंदिर मौजूद हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में होटल के रूप में व्यावसायिक क्षेत्र मौजूद हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र के रूप में शैक्षिक भवन नामत: सेंट जॉन स्कूल और आवासीय भवन नामत: अनमोल नगर कॉलोनी मौजूद हैं, दक्षिण-पश्चिमी दिशा में बुद्ध नगर कॉलोनी स्थित है।

5.1.3. हरित/खुले स्थानों का विवरण:

- उत्तर: स्तूप रिहायाशी आवास से घिरा हुआ है जो इसके पश्चिमी दिशा में है जिसमें सैटबैक, आंगन, गार्डन और कॉलोनी पार्क के रूप में खुले स्थान मौजूद हैं।
- दक्षिण : ऑल इंडिया रेडियो के परिसर में स्मारक के दक्षिणी भाग में खुला स्थान मौजूद है।
- पूर्व: इस दिशा में रिहायशी क्षेत्र के भीतर सैटबैक, आंगन, गार्डन और कॉलोनी पार्क के रूप में खुला स्थान मौजूद है।
- पश्चिम: स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में खुला स्थान मौजूद है।

5.1.4.परिचालन के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र- सड़कें, फुटपाथ आदि।

पूर्व दिशा में ऋषिपत्तन रोड द्वारा स्तूप पर पहुंचा जा सकता है जो 15 मीटर चौड़ी है। मुख्य स्तूप में 3 मीटर चौड़ी पैदल पथ द्वारा पहुंचा जा सकता है। चौखंडी स्तूप के संरक्षित क्षेत्र में मंदिर भी शामिल है- बाबा मंकरधीश्यर, जिसका नाम माता मंदिर है, इस स्मारक के उत्तर-पूर्व दिशा में अशोक रोड, धर्मपाल रोड तथा ऋषिपत्तनम रोड स्थित हैं जो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं।

5.1.5.भवन की ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

उत्तर: अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर

दक्षिण : अधिकतम ऊंचाई 28 मीटर

पूर्व : अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर

पश्चिम : अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर

5.1.6.प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संरक्षित स्मारकों और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि मौजूद हो:

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक के नजदीक कोई राज्य और अन्य संरक्षित स्मारक मौजूद नहीं हैं।

5.1.7.सार्वजनिक सुविधाएं :

स्थल पर रास्ते (पाथवे), साइनेज, बैठने की व्यवस्था तथा सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड उपलब्ध है।

5.1.8.स्मारक तक पह्ंच:

स्मारक पर पक्की सड़क के जरिए सीधे पहुंचा जा सकता है। स्मारक के अंदर आगंत्कों की आवाजाही के लिए रास्ता (पाथवे) बनाया गया है।

5.1.9.अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र, जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)

स्थल पर केवल जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। नगर निगम द्वारा पार्किंग क्षेत्र म्हैया कराया गया है।

5.1.10.स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक के लिए वाराणसी मास्टर प्लान 2031 में कोई विशेष नियम और खंड वर्णित नहीं किए गए हैं। स्मारक के लिए विरासत उप-नियम जब प्रभावी होंगे तब उन्हें लागू किया जाएगा।

अध्याय ▼Ⅰ

स्मारक का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0. वास्त्कीय, ऐतिहासिक और प्रातात्विक महत्व:

चौखंडी स्तूप का बड़ा वास्तुकीय और ऐतिहासिक महत्व है। यह सुंदर श्राइन आयताकार नींव पर स्थित है तथा इसके साथ 3 अलग-अलग ऊंचाई की टैरेस सिहत गुप्तकाल (4-6वीं शताब्दी सीई) के दौरान सृजित की गई। यह स्मारक उन पांच शिष्यों की स्मृति में बनाया गया था जिनसे भगवान बुद्ध पहली बार मिले थे। मुगल काल के दौरान स्मारक के शीर्ष पर बाद में अष्टभुजाकार टावर को जोड़ा गया। यह सारनाथ में स्मारकों के स्थलों में से एक है।

6.1. स्मारकों की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि)

यह स्मारक गंज गांव और बरईपुर से घिरा हुआ है। शहरीकरण तथा जनसंख्या के दबाव के कारण प्रतिषिद्ध तथा नियमित क्षेत्रों के भीतर अनेक नए भवनों का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्यकलापों के कारण प्रतिषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं।

6.2. संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र का उत्तरी और पूर्वी भाग जिसमें आंशिक रूप से लोग निवास करते हैं, को छोड़कर पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पश्चिम भाग मुख्यत: खुला है। विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी भाग को छोड़कर यह क्षेत्र घनी आबादी वाला नहीं है और इस दिशा में स्मारक को खुले क्षेत्र से देखा जा सकता है।

6.3. पहचान योग्य भूमि उपयोग:

स्मारक की दक्षिणी और पश्चिमी भूमि बंजर तथा कृषि योग्य है।

6.4. संरक्षित स्मारक के अलावा प्रातात्विक विरासत अवशेष:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों, में संरक्षित स्मारकों के अलावा कोई पुरातात्विक विरासत अवशेष मौजूद नहीं है।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य:

स्मारक सारनाथ सांस्कृतिक परिदृश्य के क्षेत्र में अवस्थित है।

6.6. महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग है और यह वातावरण के प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में मदद करता है:

स्मारक के नजदीक कोई प्राकृतिक परिदृश्य विद्यमान नहीं है।

6.7. खुले स्थान और निर्मित भवन का उपयोग:

स्मारक के दक्षिण और पश्चिमी दिशा की ओर की भूमि का कुछ भाग बंजर और कुछ भाग कृषि योग्य है। पूर्वी तथा उत्तरी दिशा में आधुनिक भवनों का निर्माण किया गया है।

6.8. पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

यह एक अत्यंत गरिमामयी स्तूप है, लेकिन वर्तमान में इसमें कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप नहीं होते हैं।

6.9. स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से नजर आने वाला क्षितिज:

दक्षिण और पश्चिमी दिशा से स्मारक को देखा जा सकता है।

6.10.पारंपरिक वास्त्कलाः

कोई पारंपरिक वास्तुकला मौजूद नहीं है।

6.11.स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार शहर विकास योजना (सीडीपी) अनुलग्नक-V में देखी जा सकती है।

6.12 भवन से संबंधित मानदंड:

- (क) स्थल पर निर्माण की ऊंचाई (ममटी, मुंडेर आदि):भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दी गई सार्वजनिक सुविधाओं या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अनुमित को छोड़कर विनियमित क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमित नहीं है। ऐसे भवनों के लिए अधिकतम अनुमेय ऊंचाई 9.5 मी. (सभी को शामिल करते हुए) होगी।
- (ख) तल क्षेत्र : स्थानीय भवन उप-विधि के अन्सार तल क्षेत्र अन्पात होगा।
- (ग) उपयोग: स्थानीय निर्मित भवन उप-विधि के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं सहित

(घ) अग्रभाग का डिजाइन :

- अग्रभाग का डिजाइन स्मारक के परिवेश से मेल खाना चाहिए
- सामने की सड़क या सीढ़ी साफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अन्मति नहीं होगी।

(इ.) छत का डिजाइन :

- क्षेत्र में केवल सपाट छत वाली डिजाइन को अपनाया जाना है।
- भवन के छत पर संरचना यहां तक कि अस्थायी सामग्री जैसे अल्मुनियम, फाइबर
 ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या उसी प्रकार की सामग्री का उपयोग किए जाने की अनुमित
 नहीं होगी।
- छत पर रखी गई सभी सुविधाओं जैसे बड़ी वातानुकूलन इकाइयां, पानी की टंकी या बड़े जेनरेटर को दीवार के आवरण (ईट/सीमेंट की चादरें आदि) का उपयोग करते हुए ढका जाना चाहिए। इन सभी सुविधाओं को अधिकतम अनुमेय ऊंचाई वाली संरचना में शामिल किया जाना चाहिए।

(च) भवन निर्माण सामग्री:

- स्मारक की सभी सडकों के अग्रभागों के किनारे-किनारे सामग्री और रंग में समरूपता।
- बाहरी परिष्करण (फिनिश) के लिए आधुनिक सामग्री जैसे एलुमिनियम का आवरण,सीसे की ईंटें और किसी अन्य रासायनिक टाइल या सामग्री की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- परंपरागत सामग्री जैसे ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग:- बाहर का रंग, स्मारक के अन्रूप हल्के रंग का ही होना चाहिए।

6.13 आगंत्क स्विधाएं और साधन:

स्थल पर आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश एवं ध्विन शो, प्रसाधन, निर्वचन केन्द्र, जलपान गृह, पेयजल, स्मारिका दुकान, दृश्य-श्रव्य केन्द्र, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल उपलब्ध होनी चाहिएं।

अध्याय- \mathbf{VII}

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें

(क) सैटबैक

 सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण (प्रोजेक्शंस)

 सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमित नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक

धरोहर क्षेत्र में साइनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमित नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में किसी विज्ञापन की अनुमित नहीं दी जाएगी।

- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक
 को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमित नहीं दी जाए।

7.2 अन्य सिफारिशं

- व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और पिरसीमा के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश
 https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf
 में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument Ancient Buddhist Site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi, prepared by the Competent Authority, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

- (i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected MonumentAncient Buddhist Site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi.
- (ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

- (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) The remains of an ancient monument,
 - (ii) The site of an ancient monument,
 - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;
- (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;
- (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;
- (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;
- (f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
 - Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E:
- (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

- (h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;
 FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;
- (i) "Government" means The Government of India;
- (j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;
- (k) "owner" includes-
 - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-inoffice of any such manager or trustee;
- (l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
- (m)"Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A;
- (n) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;
- (o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;
- (p) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B;
- (q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;
- (r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction:
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

- 2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.
- **2.2 Rights and Responsibilities of Applicant:** The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:
 - (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
 - (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER – III

Location and Setting of Centrally Protected Monument – Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi

3.0 Location and Setting of the Monument:-

- It is situated at GPS Cordinates:Lat. 25° 22' 23.83" N Long. 83° 01' 29.75" E
- It is located near Sarnath MuseumatGanj&Baraipur, Sarnath
- The Centrally Protected Monument- Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa is situated13 kilometers away from district headquarters Varanasi, Uttar Pradesh, India.
- The nearest Railway station is Sarnath Junction and the nearest Airport is Lal Bahadur Shashtri International Airport in Baabatpur at a distance of 25.4km.




Figure 1, Google map showing location of Ancient Buddhist site known as Chaukhandistupa, Varanasi

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument- Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa, Varanasimay be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

Chaukhandi, as the tradition goes, is the place where the Buddha first met his five disciples on his way from Bodh Gaya to Sarnath. A terraced stupa was built on the spot probably during the Gupta period (4th-6th Century CE) by the kings of that dynasty. The present octagonal tower on the top of the monument is said to have been constructed by Govardhan, son of Raja Todar Mal at the instance of Emperor Akbar in 1588 CE. The monument presumably continued in its original shape till the tower was added. General Alexander Cunningham drilled a shaft from the top of the Stupabut could not find any remains of a reliquary casket.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

ChaukhandiStupa, 28 m in height from the ground level, has a rectangular plinth, with three rising square terraces above itindicating the origin of the name Chaukhandi. Cunningham drove a vertical shaft in its centre down to the foundation in search of a relic chamber, but nothing was found inside. The outer walls of the terrace were provided with niches for statuary. An image of Gautama Buddha seated in Dharmachakra-Mudra, and two beautifully carved bas-reliefs representing leogryphs and gladiators found at this site, are in the Gupta idiom and show that the monument existed in the Gupta Period.

3.4 CURRENT STATUS

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

It is a non-ticketed monument and about 2-3 people per week visit the monument.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

There is no specific zoning for the monument in the local area development plans.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi:

It may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Protected Area, Prohibited Area and Regulated Area in Square Meters and their salient features

Protected Area: 9182.3172 sqm
Prohibited Area: 69966.1007 sqm.
Regulated Area: 329122.739 sqm.

Salient features:

The monument doesn't have much construction in the south direction of Protected, Prohibited and Regulated Areas. All India Radio and Doordarshanlie in the south direction of Prohibited Area and an apartment with few buildings lies in the south of regulated boundary. Anmol Nagar, a residential colony lies in west, south-west, north-west and north direction inside the Regulated Area of the monument. The monument is surrounded by several Buddhist temples and hotels for the tourists in the Regulated Area.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

• North-Built up area is in the form of educational buildings like Dr. Ambedkar Siksha Samiti and Maheshwar Sardar Balika School are present in north-west direction.

- South-Nagar Nigam land, All India Radio (PrasarBharti) &Doordarshan and guest house namely Siddhartha Guest House are present in this direction.
- East-Built up area in the form of guest houses for the tourists and parts of Maharaja Suhal Dev Park are present in south-east direction.
- West-Garden of Spiritual Wisdom and a part of St. John School are present in this direction.

Regulated Area:

- **North-**Built up area in the form of residences is present in the north direction and Wat Thai temple is present in the north-west direction.
- **South-**Built up area in the form of residential buildings namely Divya Apartment is present in this direction.
- East-Religious building namely JambudwipSri-lanka Buddhist temple is present in this direction. Commercial area in the form of hotel is present in north-east direction.
- West-Built up area in the form of educational building namely St. John School and residential buildings namely Anmol Nagar Colony are present in this direction. Buddha Nagar Colony lies in south-west direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

- **North-**The Stupa is surrounded by residences in its north direction which has open areas in the form of setback, courtyards, gardens and colony parks.
- **South-**Open space in the south of the monument lie in the premises of All India Radio.
- East-Open areas in the form of setback, courtyards, gardens and colony parks within the residential area are present in this direction.
- West-Open space lies in the Protected Area of the monument.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc. :

The Stupa is approached by Rishipattan Road in east direction which is 15m wide. The main Stupa is approached by 3m wide pedestrian pathway. The Protected Area of ChaukhandiStupa also includes the temple- Baba MankarDihShayar Mata Mandir. Ashoka Road, Dharampala Road and Rishipattan Road makes a triangle in the northeast direction of the monument.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise)

- North: Maximum height is 10m.
- South: Maximum height is 28 m.
- East: Maximum height is 10m.
- West: Maximum height is 10 m.

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There is no state and other protected monument near the Centrally Protected Monument

5.1.7 Public amenities:

Pathways, signages, seating arrangement and cultural notice board are available at the site.

5.1.8 Access to monument:

Monument is directly accessed by a metalled road. Inside the monument, pathways are provided for the movement of visitors.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Only water supply is available at the site. Parking area is provided by the municipal corporation.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

There is no particular rule and clause defined in Varanasi Master Plan 2031 for Centrally Protected Monuments. Heritage Bye-laws of the monument when comes into force shall be applicable.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The Chaukhandi Stupa has a great architectural and historical value. This beautiful shrine was erected during the Gupta period (4th-6th Century CE) with a square base and three rising terraces. This monument was built to mark the spot where Lord Buddha met his first five disciples. The monument was later added with an octagonal tower on the top during the Mughal period. It remains one of the landmarks of monuments at Sarnath.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The monument is surrounded by the villages Ganj and Baraipur. Due to urbanization and

population pressure, several new buildings have come up within the Prohibited and Regulated Area. The Prohibited and Regulated Areas have become more sensitive towards construction activity.

6.2 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from Regulated Area:

The western, southern, and north-western part of the Prohibited Area is considerably open except, the northern and eastern side which is partly inhabited. The Regulated Area is sparsely populated except south-western part and the monument is visible from the open area in this direction.

6.3 Land-use to be identified:

Towards the south and west of the monument land is barren and cultivable.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No archaeological remains have been found in Prohibited and Regulated Areas.

6.5 Cultural landscapes:

The monument is located in the vicinity of Sarnath Cultural Landscape.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

No natural landscape exists near the monument.

6.7 Usage of open space and constructions:

Some part of the land towards the south and west directions of the monument is barren and some part is cultivable. In the east and north directions, modern houses have been constructed.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

It's a highly revered Stupa but no traditional, historical and cultural activities take place at present.

6.9 Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas:

Monument is visible from the south and west.

6.10 Traditional Architecture:

No traditional architecture exists.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

CDP (City Development Plan) prepared by the local authority may be seen at **Annexure-V**.

6.12 Building related parameters:

- (a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 9.5mtr.
- **(b) Floor area:** FAR will be as per local building bye-laws.
- (c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:

- The façade design should match the ambience of the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:-

- Only flat roof design in the area is to be followed
- Structures, even using using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.
- All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.

(f) Building material: -

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.
- **(g) Colour: -** The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound show, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

• The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

• No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted; but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations


- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक ANNEXURES

अनुलग्नक-।

ANNEXURE - I

चौखंडी स्तूप, वाराणसी नामक प्राचीन बौद्ध स्थल की संरक्षित चारदीवारी Protected boundary of Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa, Varanasi



स्मारक की अधिसूचना NOTIFICATION OF THE MONUMENT

मूल अधिसूचना

Original Notification

PUBLIC WORKS DEPARTMENT. BUILDING AND RAODS BRANCH.

Dathe Allahabad, the 13th February,1907

No.342M/367.- In exercise of the posers conferred by section 3(1) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904). His Henour the Lieutenant-Governor is pleased to declare as protected the Ancient Buddhist Site known as the Chauknandi Stupa in mauzas Ganj and Baraipur, Pargana Sheopur, Tahsil Benaras, district Benaras, with an area of 22.96 acres, including Government land measuring 5.73 acres, and bounded as follow:

On the North -East - By a straight line starting from the centre of the east boundary of field No.57 in mauza Ganj, crossing fields Nos.132, 133,135 of Mauza Baraipur and Nos.59.60 and 66 of Mauza Ganj, and term minating in the centre of field No.66 in mauza Ganj.

on the South-East-

By a straight line starting from the centre of field No.66 in Mauza Ganj, or ossing fields Nos.66,78,79,81,82,83,84,86 and 85, and terminating at the centre of West boundary of field No.85 in Mauza Ganj.

On the South-West-

By a straight line starting from the centre of the West boundary of field No.85 in Mauza Ganj, crossing fields No.176,88,89,115,114,112 and 97 and terminating in the centre of field No.97 in Mauza Ganj.

On the North-West -

By a straight line starting from the centre of field No. 97. in Mauza Ganj, crossing fields Nos. 97,96,100,58,56 and 57 terminating at the centre of the East boundary of field No. 57 in Mauza Ganj.

By order of the Hon' ble the Lievt .- Govr., United Provinces,

A.R. SUTHERLAND,

Secretary to Government, United Provinces.

Typed copy of Notification

PUBLIC WORKS DEPARTMENT BUILDING AND RAODS BRANCH,

Dated Allahabad, the 13th February, 1907

No.342M/367.- In exercise of the powers conferred by section 3(1) of the ancient monuments preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is pleased to declare as protected the ancient Buddhist site known as the Chaukhandi Stupa in mauzas Ganj and Baraipur, Pargana Sheopur, Tahsil Varanasi, district Varanasi, with an area of 22.96 acres, Including Government land measuring 5.73 acres, and bounded as follow:-

On the North-East: By a straight line starting from the centre of the east boundary of field no.57 in Mauza Ganj crossing field nos. 132, 133, 135 of Mauza Baraipur and nos. 59, 60 and 66 of Mauza Ganj and terminating in the centre of field no 66 in Mauza Ganj.

On the South-East: By a straight line starting from the centre of field no. 66 in Mauza Ganj crossing fields nos. 66, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86 and 85 and terminating at the centre of west boundary of field no. 85 in Mauza Ganj.

On the South-West: By a straight line starting from the centre of the west boundary of field no. 85 in Mauza Ganj, crossing fields nos. 176, 88, 89, 115, 114, 112 and 97 and terminating in the centre of field no.97 in Mauza Ganj.

On the North-West: By a straight line starting from the centre of field no.97 in Mauza Ganj, crossing the fields nos. 97, 96, 100, 58, 56 and 57 terminating at the centre of the east boundary of field no. 57 in Mauza Ganj.

By order of the Hon'ble the Lievt.-Govr., United Ptovinces,

A.R. SUTHERLAND,

Secretary to Government united Provinces.

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

निर्माण कार्य के लिए सामान्य नियम तथा दिशानिर्देश उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

1. नए निर्माण कार्य, सैट बैक के लिए विनियमित क्षेत्र सिहत अनुमित प्राप्त भूतल उपयोग, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई

वर्तमान में राज्य सरकार के कुछ अधिनियम हैं जिनमें विरासत के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, निर्माण कार्य के लिए सामान्य दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का उल्लेख क्रमशः खंड 1.1.2 और 1.1.1 के तहत "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप विधि-2008" में "उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम, 1973" में किया गया है।

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप विधि-2008 एफएआर/एफएसआई के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है जो निम्नानुसार है :

विशिष्टताएं	भूखंड क्षेत्र	आगे छोड़ा	पीछे छोड़ा गया	साईड 1	साइड 2	एफएआर
	(वर्गमीटर)	गया स्थान	स्थान	मार्जिन	मार्जिन	
		(फ्रंट मार्जिन)	(रियर मार्जिन)			
पंक्तिबद्ध घर	50 तक	1.0	-	-	-	2.00
	50 से 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 से 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 से 300	3.0	3	-	-	1.75
अर्द्ध विलगित	300 से 500	4.5	4.5	3		1.50
(सेमी डिटेच्ड)		4.5	4.5	3	-	1.50
	500 से	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000					
विलगित	1000 से	0.0		4.5	2	1.25
(डिटेच्ड)	1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 से	0.0			(1.25
	2000	9.0	6	6	6	1.25

• अन्य भूमि उपयोग के लिए भूमि उपयोग (ग्राउंड कवरेज) और एफएआर

क्र. सं.	भूमि उपयोग	भूमि उपयोग ग्राउंड कवरेज प्रतिशत में	
रिहायशी उप		योग के रूप में प्लॉट	
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	100 वर्ग मीटर तक	65	2.00
	101 से 300 वर्ग मीटर	60	1.75
	301 से 500 वर्ग मीटर	55	1.50
	501 से 2000 वर्ग मीटर	45	1.25

आवासीय फ्लैट के लिए निर्मित/नए/अविकसित क्षेत्र के अनुसार जमीन आवृत्त और तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)

विवरण	आवासीय तल क्षेत्र	भूतल उपयोग (ग्राउंड	तल क्षेत्र अनुपात
	(फ्लैट एरिया) (वर्गमी.)	कवर) प्रतिशत में	(एफएआर)
निर्मित क्षेत्र	100 तक	75	2.00
	101 से 300	65	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 社 2000	45	1.25

विवरण	आवासीय तल क्षेत्र	भूतल उपयोग (ग्राउंड	तल क्षेत्र अनुपात
	(फ्लैट एरिया) (वर्गमी.)	कवर) प्रतिशत में	(एफएआर)
नया/अविकसित क्षेत्र	100 तक	65	2.00
	101 से 300	60	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25

12.5 मीटर से 15 मीटर ऊंचाई के लिए व्यावसायिक/राजकीय/संस्थागत/सामुदायिक/सम्म्लेन सभागार (कांफ्रेसहाल)/सार्वजनिक सुविधाओं के लिए छोड़ी जाने वाली जगह

भूमि का क्षेत्र वर्ग मीटर में	छोड़ी जाने वाली जगह (मीटर में)			
	आगे	पीछे	साइड 1	साइड 2
200 तक (व्यावसायिक के अतिरिक्त)	3.0	3.0	-	-
201 - 500 (व्यावसायिक सहित)	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक (व्यावसायिक सहित)	6.0	3.0	3.0	3.0

• तीसरे तल (फ्लोर) अथवा 12.5 मीटर ऊंचाई तक वाले व्यावसायिक/राजकीय/सामुदायिक/सम्मेलन सभागार (कांफ्रेस हाल) के लिए छोड़ी जाने वाले जगह ऊपर के समान ही होगी परंतु संस्थागत/सार्वजनिक सुविधाओं (शैक्षिक भवन के अतिरिक्त) के लिए निम्नवत् होगी

भूमि क्षेत्र		छोड़ी जाने वाली जगह (मीटर में)			
वर्ग मीटर में	आगे	पीछे	साइड 1	साइड 2	
200 तक	3	3	-	-	
201 - 500	6	3	3	-	
501 - 2000	9	3	3	3	
2001 - 4000	9	4	3	3	
4001 - 30000	9	6	4.5	4.5	
30001 से अधिक	15	9	9	9	

• 12.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले भवनों में छोड़ी जाने वाली जगह

भवन की ऊंचाई (मीटर)	भवन के आस-पास छोड़ी जाने वाली जगह
12.5 से 15	5.0
15 से 18	6.0
18 से 21	7.0
21 से 24	8.0
24 से 27	9.0
27 से 30	10.0
30 से 35	11.0
35 से 40	12.0
40 से 45	13.0
45 से 50	14.0
50 से अधिक	15.0

बेसमेंट विवरण:

(क) निम्न तल (बेसमेंट) को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेंट में शौचालय या रसोईघर के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

- (ख) आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शॉफ्ट के नीचे बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) संरचना के मूल्यांकन के पश्चात् ही बेसमेंट का निर्माण किया जाएगा।
- (घ) निम्नतल (बेसमेंट) का निर्माण की बगल की सम्पित्तयों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पित्तयों से न्यूनतम 2 मीटर की दूरी पर अनुमित होगी।

अलग-अलग प्रकार के भवनों के लिए बेसमेंट का निर्माण तदनुसार ही किया जाना चाहिए:

क्र.सं.	भूमि क्षेत्र	भूमि उपयोग का प्रकार	निम्नतल
	(वर्ग मी. में)		(बेसमेंट का प्रावधान)
1.	100 तक	2. आवासीय/अन्य वाणिज्यिक	अनुमन्य नहीं
		3. कार्यालय और वाणिज्यिक	50% जमीन आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) अनुमन्य है
2.	100 से	1. आवासीय	20% जमीन आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) अनुमन्य है
	2000	2. गैर-आवासीय	अनुमन्य जमीन आवृत्त ग्राउंड कवरेज के
			समान
3.	2000 से	1. समूह आवास (ग्रुप	4000 वर्ग मी. की भूमि में दो बेसमेंट और
	अधिक	हाउसिंग)/वाणिज्यिक और	4000 वर्ग मी. से अधिक में 3 बेसमेंट की
		अन्य बहुमंजलीय इमारतें	अनुमति है।
		2. उद्योग	भूतल उपयोग (ग्राऊंड कवरेज) के समान है
			एफएआर में बेसमेंट का 50% गिना जाएगा
		3. सार्वजनिक सुविधाएं	दो बेसमेंट

पार्किंग सुविधाः

1. आवासीय स्थल क्षेत्र के अनुसार पार्किंग का प्रावधान होगा:

आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्र	प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु कार पार्किंग
100 वर्ग मीटर तक	1.00
100 से 150 वर्ग मीटर तक	1.25
150 वर्ग मीटर से अधिक	1.50

- 2. सामान्य (कॉमन) कार पार्किंग के लिए आवश्यक परिचालन क्षेत्र (सर्कुलेशन एरिया):
 - खुले क्षेत्र में पार्किंग-23 वर्ग मीटर
 - II. आवृत्त (कवर) पार्किंग-28 वर्ग मीटर
 - III. बेसमेंट में पार्किंग-32 वर्ग मीटर

अन्य भूमि उपयोग हेतु जमीन आवृत्त (ग्राऊंड कवरेज) और तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर):

क्र .	भूमि का उपयोग	भूतल उपयोग (ग्राऊंड	तल क्षेत्र अन्पात					
सं.	*	ें कवरेज) % में	(एफएआर)					
1.	भूखंड (प्लॉट) आवास							
क.	विकसित क्षेत्र के लिए							
	• 100 वर्ग मीटर तक	75	2.00					
	• 101-300 वर्ग मीटर	65	1.75					
	• 301-500 वर्ग मीटर	55	1.50					
	• 501-2000 वर्ग मीटर	45	1.25					
ख.	नया/अविकसित क्षेत्र							
	• 100 वर्ग मीटर तक	65	2.00					
	• 101-300 वर्ग मीटर	60	1.75					
	• 301-500 वर्ग मीटर	55	1.50					
	• 501-2000 वर्ग मीटर	45	1.25					
2.	व्यावसायिक	,						
क.	विकसित क्षेत्र के लिए							
	• सुविधा दुकान (शॉप)	60	2.00					
	• पड़ोस की दुकान	40	1.75					
	• खरीददारी गली (शापिंग स्ट्रीट)	40	1.50					
	• जिला विपणन केंद्र (डिस्ट्रिक शापिंग	40	1.25					
	सेंटर)/ उप केंद्रीय जिला व्यापारिक क्षेत्र							
	(सब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक एरिया)							

क्र.	भूमि का उपयोग	भूतल उपयोग (ग्राऊंड	तल क्षेत्र अनुपात
सं.		कवरेज) % में	(एफएआर)
	• केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र	50	1.50
		40	1.75
		30	2.00
ख.	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सुविधा दुकान (शॉप)	50	1.50
	• पड़ोस/क्षेत्र खरीददारी केंद्र (सेक्टर शापिंग	40	1.75
	सेन्टर)		
	• जिला विपणन केंद्र (डिस्ट्रिक शापिंग	35	2.00
	सेंटर)/ उप केंद्रीय जिला व्यापारिक क्षेत्र		
	(सब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक)		
	कार्यालय		
3.	केन्द्रीय व्यापारिक जिला	30	5.00
i.	निर्मित एरिया	40	1.50
ii.	विकसित एरिया	30	2.00

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध विरासत उप नियम/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो

जैसा कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप पद्धति-2016 के रूप में संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय-3 के खंड 3.1.9, उप-खंड (I) और (II) के अंतर्गत पहले ही परिभाषित किया जा चुका है कि एएसआई द्वारा विरासत या स्मारक घोषित किए गए प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमित नहीं होगी। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र में अनुमित एएसआई द्वारा प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित और वैध) के नियमानुसार दी जाएगी। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी, वाराणसी विकास योजना (2011-2031) भी तैयार की गई है जिसमें नए निर्माणों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

एएसआई से इतर अन्य संरक्षित स्मारकों के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अनुसार विरासत उप-नियम

 मुख्य सड़कों अथवा ऐतिहासिक भवनों के नजदीक स्थापत्य नियंत्रित क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए वास्तुकला विभागों का अनुमोदन आवश्यक है।

- स्मारक/विरासत भवन के परिसर से 50 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य की अनुमित नहीं होगी।
- स्मारक के परिसर से 50 मीटर से 150 मीटर की दूरी तक केवल एक मंजिला आवासीय
 भवनों (अधिकतम ऊंचाई 3.8 मीटर) की अनुमित है।
- स्मारक परिसर से 150 मीटर से 250 मीटर की दूरी तक अधिकतम 7.6 मीटर की ऊंचाई की अनुमति है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर भारत सरकार के संगत प्रावधान
 अन्य संरक्षित स्मारकों (भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित नहीं हैं) पर लागू होंगे।

3. खुला स्थान

खुला स्थान क्षेत्र मानक उत्तर प्रदेश विकास योजना 2008 और 2011 के अनुसार होगा।

- i. आवासीय भूमि-उपयोग: अभिन्यास योजना (ले आउट प्लान) का 15% बच्चों के लिए क्रीडांगन (टाट-लॉट), पार्क और खेल के मैदान (प्ले ग्राउंड) के खुले स्थान के रूप में छोड़े जाने चाहिए।
- ii. गैर आवासीय भूमि उपयोग: अभिन्यास योजना (ले आउट प्लान) का 10% टाट-लॉट, पार्क और प्ले-ग्राउंड के ख्ले स्थान के रूप में छोड़े जाने चाहिए।

iii. दृश्यावली योजना:

- जब सड़क की चौड़ाई 9 मीटर अथवा 12 मीटर से कम हो तो सड़क के एक ओर
 10 मीटर की द्री पर पेड़ लगाए जाएंगे।
- जब सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक हो तो सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे।
- विभाजक पट्टी (डिवाइडर), पगडंडी (फुटपाथ) आदि के बाद बची हुई सड़क का प्रयोग पेड लगाने के लिए किया जाएगा।
- व्यावसायिक योजना में 20% क्षेत्र को हिरत क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाएगा
 और प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाएंगे।
- (इ.) संस्थागत क्षेत्र में 20% क्षेत्र को हिरत क्षेत्र के लिए रखा जाएगा और प्रति हेक्टेयर 25 पेड़ लगाए जाएंगे।

टिप्पणी: - उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप-नियम 2008 में उल्लिखित सभी उपरोक्त खंड उत्तर प्रदेश नगर निगम योजना और विकास अधिनियम 1973 में दिए गए हैं।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ आवाजाही (मोबिलिटी) - रोड सरफेसिंग पैदल पथ, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि

सारनाथ में स्मारकों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर आवाजाही के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश और उप-नियम उपलब्ध नहीं हैं। शहरी क्षेत्र में यात्रा की जरूरतों को मुख्यतः निजी वाहनों के जरिए पूरा किया जाता है जैसे कि दोपहिया, तीन पहिया वाहन, साइकिल, टैम्पो, गाड़ी, चार सीटों वाला छोटा ऑटो-रिक्शा, जीप और वैन (टाटा मैजिक)।

सारनाथ/वाराणसी विकास योजना में, आवाजाही की नई जरूरतों, जो शहर में आवाजाही के लिए आमतौर पर उत्पन्न की जाती हैं, के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

- इसका डिजाइन सड़क का उपयोग करने वालों के लिए साधारण और समझने में सरल होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाना चाहिए और आवाजाही के रास्ते खुले और बाधारहित होने चाहिए।
- डिजाइन और यातायात नियंत्रण में समन्वय होना चाहिए। ज्यामितीय डिजाइन मानदंड टाइप नियंत्रण और अपनाए गए नियामक उपायों के अन्रूप होने चाहिए।
- डिजाइन स्थानीय/आस-पड़ोस के क्षेत्रों संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तावित डिजाइन गति, संघटन और यातायात की संख्या जैसी स्थानीय प्रचालन परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए।
- प्रचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त दूर स्थान अंतर होना चाहिए। आने वाले वाहनों के बीच पर्याप्त सही दूरी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाहन सुरक्षित तरीके से रोके जा सकें।
- ज्यामितीय डिजाइन/प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास किए बिना उपलब्ध स्थान तक सीमित।

5. शहरी सड़क डिजाइन (स्ट्रीटस्केप्स), अग्रभाग (फसाड्स) और नए निर्माण

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर शहरी सड़क डिजाइन और अग्रभाग के लिए कोई विशिष्ट उप-नियम और दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं। शहरी स्मार्ट सिटी के अनुरूप नए निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश वाराणसी विकास योजना-2011-2031 में उल्लिखित हैं।

शहरी स्मार्ट सिटी के अनुरूप नए निर्माण के लिए (वाराणसी विकास योजना-2011-2031 में यथा उल्लिखित)

• सड़क के दृश्य में सुधार : भूमिगत यूटिलिटी डक्ट जैसी परियोजनाएं शहरी सड़क डिजाइन में सुधार और सेवाओं की बेहतर प्रदायगी सुनिश्चित करती हैं। भवनों के अग्रभाग का विकास करने से उनमें सौंदर्यपरक रूप से सुधार होगा, विरासत बिजली कें खंभों, बेहतर

सड़क संकेतक बोर्ड लगाने से सड़क की सुंदरता बढ़ेगी। वाणिज्यिक क्षेत्रों में नागरिकों को स्मार्ट पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराने से सड़कों पर अनियमित पार्किंग वाले वाहनों की संख्या घट जाएगी। अग्रभाग और लैम्प पोस्ट के पुराने डिजाइन का विकास करने तथा पैदल यात्रियों के अन्कूल सड़कों से स्ट्रीट व्यू में स्धार होगा।

- भारी यातायात को नियंत्रित करना : परिवर्ती संदेश संकेतकों जैसी परियोजनाएं, नई बहु-स्तरीय कार पार्किंग और अधिक ई-रिक्शा, बैटरी बसों की शुरुआत, मल्टी मोडल नोड्स की शुरुआत करना, सड़क से हटकर पार्किंग के लिए स्मार्ट पार्किंग समाधान, सड़क पर पार्किंग के लिए स्मार्ट पार्किंग समाधान और स्मार्ट टिकटिंग से भारी यातायात का नियंत्रण और यात्रा समय की बचत सुनिश्चित हो सकेगी। स्थान तैयार करना : सड़क और जंक्शन में सुधार; पैदल यात्रियों के अनुकूल मार्ग और साइकिल ट्रैक जैसी परियोजनाएं यातायात की आवाजाही को स्गम बनाएंगी तथा पैदल चलने और साइकिलिंग को बढ़ावा देंगी।
- आवाजाही नोइस : साइकिल और बैटरी, स्कूटी किराए पर लेने, नि:शुल्क वाई-फाई सूचना केन्द्र, ई-सुविधा केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, वाणिज्यिक क्षेत्र, पार्किंग और ई-रिक्शाओं के लिए सौर आधारित बैटरी चार्जिंग बिन्दुओं की सुविधा उपलब्ध कराना। एक समावेशी अवधारणा की शुरुआत करना जिसमें सड़क पर पार्किंग से बचने के लिए गैर-मोटरीकृत परिवहन (एनएमटी) मोड की सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि यात्रियों की भीड़ के कारण भारी यातायात को नियंत्रित किया जा सके। सौर एलईडी चार्जिंग प्वाइंट की शुरुआत करना ताकि ई-रिक्शा वाले अपने वाहन को चार्ज करने की सुविधा प्राप्त कर सकें।
- मौजूदा विरासत क्षेत्रों का पुनरुद्धार : मौजूदा विरासत भवनों और जल, तालाबों के पुन: प्रयोग और पुनरुद्धार जैसी परियोजनाओं से कम उपयोग में लाई जाने वाली संरचनाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। समुचित प्रकाश व्यवस्था, विरासत लुक वाले संकेतक और अग्रभाग में सुधार के माध्यम से बाजारों का संरक्षण, सार्वजनिक स्थान, पार्किंग आदि।
- पैदल पथ बनाना और एनएमटी (गैर-मोटरीकृत वाहन): दिन के समय में वाहनों के प्रवेश
 पर रोक के माध्यम से चारदीवारी से घिरे शहर में भारी यातायात को नियंत्रित करना,
 पैदल यात्रियों के लिए पेवमेंट में सुधार करना, सार्वजनिक उपयोग हेतु साइकिल किराए पर
 देना, विरासत भ्रमणों को बढ़ावा देना।

LOCAL BODIES GUIDELINES

The general rules and guidelines for construction are specified in Uttar-Pradesh Development Authority

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated area for new construction, Set Backs.

At present there are some Acts of the state Government wherein no specific provision are made pertaining to the heritage. However, general guidelines are specified for the construction. These guidelines are mentioned in the "Uttar Pradesh municipal planning and development act-1973" in the "Development Authority Building Construction and Development sub method-2008" under the clause 1.1.2 and 1.1.1 respectively.

• As per the Development Authority Building Construction and Development sub method-2008 FAR/FSI are specified as below:

Specification	Plot Area (Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin	FAR
	Up to 50	1.0	-	-	-	2.00
Row Housing	50 to 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 to 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 to 300	3.0	3	-	-	1.75
Semi Detached						
	300 to 500	4.5	4.5	3	-	1.50
	500 to 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 to					
Detached	1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 to					
	2000	9.0	6	6	6	1.25

• Ground coverage and FAR for other Land-use:

Sno.	Land Use	Ground	F.A.R.	
		Coverage in %		
1.	Plotted resid	Plotted residential		
	New /Undeveloped area			
	Upto 100 Sqm	65	2.00	
	101-300 Sqm	60	1.75	

301-500 Sqm	55	1.50
501-2000 Sqm	45	1.25

• Ground coverage and FAR as per constructed/new/undeveloped area. For residential flat.

Particular	Residential flat area in Sqm.	Ground cover in percent (%)	FAR
	up to 100	75	2.00
Constructed	101 to 300	65	1.75
Area	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25

Particular	Residential flat area in Sqm.	Ground cover in percent (%)	FAR
	up to 100	65	2.00
New/	101 to 300	60	1.75
Undeveloped	301 to 500	55	1.50
Area	501 to 2000	45	1.25

• Setback for Commercial/Official/Institutional/Community/Conference hall/Public amenities, for 12.5m to 15m height:

Area of land in	Set Back (In Meters)			
Sqm.	front	Rear	Side1	side2
Up to 200 (Except				
Commercial)	3.0	3.0	ı	ı
201 - 500 (Including				
Commercial)	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501				
(Including				
Commercial)	6.0	3.0	3.0	3.0

• Setback for Commercial/Official/Community/Conference hall up to three floor or upto12.5m height will be the same as above mentioned but for the Institutional/Public amenities (leaving educational building) the setback will be as follows:

Area of Land	Set Back in Meter			
In Sqm.	Front	Rear	Side 1	Side 2
Upto 200	3	3	-	-
201-500	6	3	3	-
501-2000	9	3	3	3

2001 to 4000	9	4	3	3
4001 to 30000	9	6	4.5	4.5
Above 30001	15	9	9	9

• Setback for building having height more than 12.5m.

Height of Building (m)	Setback left around the Building (m)
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0
27 to 30	10.0
30 to 35	11.0
35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
Above 50	15.0

> Basement Specification:

- Basement shall not be used for residential purpose. And no toilet and kitchen are allowed to be constructed in basement.
- The basement is permissible below the inner courtyard and shaft.
- The construction of basement will be done only after evaluation of the structure. The neighboring property should be 2m away from the property where basement has to be constructed.

For different type of buildings the construction of basement should be accordingly:

S No.	Land area	Type of Land-use	Provision for Basement
	(in Sqm)		
1	Upto 100	1. Residential/other	Not Permissible
		non -commercial	
		2. Officialand	50 percent ground coverage
		commercial	is permissible
2	100 to 2000	1. Residential	20 percent ground coverage
			is permissible
		2. Non - Residential	Same as permissible ground
			coverage

3.	Above 2000	1. Group Housing/	Double basement are allowed in	
		Commercial and	4000 Sqm. area of land and for	
		other multi storey	land more than 4000 Sqm.	
		buildings	area 3 basement are allowed	
		2. Industry	Same as ground coverage and 50	
			percent of thebasement will be	
			countedin	
			F.A.R.	
		3. Public Amenities	Double basement	

> Parking Facility:

• The provision of parking will be given according to the residential site area:

Construction area of	Car Parking for each	
residential unit	residential unit	
Upto 100 Sqm.	1.00	
100-150 Sqm.	1.25	
Above 150 Sqm.	1.50	

- Circulation area required for common car parking.
 - i. Parking in open area 23 Sqm.
 - ii. Covered parking 28 Sqm.
 - iii. Parking in basement 32 Sqm

> Ground coverage and FAR for other Land-use:

S.no.	Land Use	Ground	F.A.R.		
		Coverage in %			
1.	Plotted residential				
A	For Developed Area				
	• Upto 100Sqm	75	2.00		
	• 101-300Sqm	65	1.75		
	• 301-500Sqm	55	1.50		
	• 501-2000Sqm	45	1.25		
В	New /Undeveloped area				
	• Upto 100Sqm	65	2.00		
	• 101-300Sqm	60	1.75		
	• 301-500Sqm	55	1.50		
	• 501-2000Sqm	45	1.25		
2.	Commercial				
A	For Developed Area				
	 Convenient Shop 	60	2.00		
	 Neighborhood shop 	40	1.75		
	 Shopping street 	40	1.50		

	 District shopping centre/ Sub Central Business District 	40	1.25		
	Central Business District	50 40	1.50 1.75		
		30	2.00		
В	New / undeveloped Area				
	 Convenient shop 	50	1.50		
	 Neighborhood/Sector shopping centre 	40	1.75		
	 District shopping centre/ Sub Central business district 	35	2.00		
	Central Business District	30	5.00		
3.	Official				
i.	Constructed Area	40	1.50		
ii.	Developed Area	30	2.00		

2. Heritage byelaws/regulations/guidelines if any available with local bodies.

As it has already been defined under chapter-3 in section 3.1.9, sub section (I) & (II), Uttar Pradesh municipal planning and development act-1973which is amended as Development authority building construction and development sub method-2016, that no permission will be given to any type of construction in prohibited area of ASI declared heritage or monument. Apart from this in regulated area the permission will be granted by ASI as per the rules of The Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Act – 1958 (Amended and Validated in 2010). Besides this for the smart city, Varanasi development plan (2011-2031) has also framed wherein provisions are made for new constructions.

Heritage Bye-Laws according to Uttar Pradesh municipal planning and development act-1973 applicable for other protected Monument other than ASI.

For constructing Building in architectural controlled areas along the main roads or near the historical buildings approval from the architectural departments is required.

- No construction will be allowed under the distance of 50 meters from the premises of the monument/Heritage building.
- Only one storey residential buildings (maximum height 3.8 meters) is allowed between the distances of 50 meters to 150 meters from the premises of the monument.
- Maximum permissible height of 7.6 meters is allowed in the middle of the distance of 150 meters to 250 meters from the monument premises.
- The relevant provisions of the Government of India will be applicable on ASI protected sites/ monuments while the above mentioned provision will be applicable on other protected monuments (which are not protected by ASI).

3. Open spaces.

Open space area standard mentioned as per Uttar Pradesh Development Plan-2008 and 2011

- i. **Residential land-use:**15 percent of layout plan is left as open space as Tot- Lot, park and play ground.
- ii. **Non Residential land-use:** 10 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and play ground.

iii. Landscape Plan:

- The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the road width is 9m or less than 12m.
- The trees will be planted on both sides along the road when road width is more than 12m.
- The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.
- In commercial planning the 20 percent of open space will be reserved for greenery and 50 trees will be planted per hectare.
- In the areas like institutional area, public amenities, playground, 20 percent of open area is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare.

Notes:- All the above clauses are mentioned in (Uttar Pradesh Development Authority Building Construction and Development sub method-2008) under the Uttar Pradesh Municipal planning and Development Act -1973.

4. Mobility with the Prohibited and Regulated area – Road Surfacing Pedestrian ways, non – motorised Transport etc.-

There are no specific guidelines and Bye-Laws available for the mobility within the prohibited and regulated area of Monuments within Sarnath. Travel needs in the city area are primarily catered by personalised modes two wheeler, 3 wheelers, bicycles, tempos, car, the smaller 4-seater auto-rickshaws, the auto-rickshaws, jeeps and vans (TATA Magic). In Sarnath/Varanasi Development plan, few suggestions are mentioned for newly established mobility which is to be created commonly for city mobilization.

- The design must be simple and easy to follow by the road users. This is to say that the traffic flows must be streamlined and the paths to be followed must be clear and simple.
- Coordinate the design and traffic controls. The geometrics design standards should conform to the type controls and regulatory measures adopted.

- Design must be consistent with local/neighbourhood objectives. The proposed design must be conforming to the local operating conditions like speed, composition and volume of traffic.
- Provide adequate sight distances to ensure safety in operation. The approaching vehicles must have adequate right distance to safely bring the vehicles to stop in case of need.
- Geometric design/proposal confined to available space without going in for land acquisition.

5. Streetscapes, facades and new construction.

There are no specific Bye-Laws and Guidelines available for the Streetscapes and Facades within the Prohibited and Regulated area. The General guidelines for new construction in accordance with urban smart city are mentioned in Varanasi Development plan 2011- 2031.

For New construction in accordance with urban smart city (As mentioned in Varanasi Development Plan-2011-2031)


- Street view improvement: Projects like underground utility duct would ensure improving the streetscape and better delivery of services. Façade development of the buildings will improve aesthetic look, the installation of heritage electricity poles, improved road signage board will increase street beauty. Providing citizens with smart parking areas at commercial zones would help to reduce the count of unregulated onstreet parking. Development of façade and old design of lamp posts and pedestrian friendly roads will enhance the street views.
- Traffic de-congestion: Projects like variable message Signs, new multi-level car parking, introduction of more e-rickshaw, battery buses, introduction of multi modal nodes, smart Parking Solutions for off street parking, smart parking Solutions for On Street Parking and Smart Ticketing would ensure reduction in traffic congestion and travel time. Place making: Projects like Road & Junction Improvements; pedestrian friendly path ways and cycle tracks would help in ease of movement of traffic and encourage walking & cycling.
- Mobility nodes: To facilitate bicycle and battery scooty hiring, free wifi, information centre, e-suvidha kendra-Public toilets, commercial areas, parking and solar based battery charging points for e-rickshaws. To introduce an inclusive concept where non-motorised transport (NMT) modes can be facilitate to avoid on road parking to gather commuters which results in traffic congestion. Introduction of solar led charging points to facilitate e-rickshaws to charge their vehicle.
- **Rejuvenating existing heritage areas:** Projects like reuse and rejuvenation of existing heritage buildings and water ponds will ensure usage of underutilized structures. Proper lighting, signages with heritage look and conservation of bazaars through façade improvements, public places, parking etc.
- **Pedestrianisation & NMT (Non-motorized Transport):** Decongestion of traffic in walled city through restriction on entry of vehicles in daytime, improvements in the pavements for pedestrians, shared bicycling, promotion of heritage walks.

अनुलग्नक- IV


ANNEXURE- IV

चौंखंडी स्तूप, नामक प्राचीन बौंद्ध स्थल का स्टेशन सर्वेक्षण, ग्राम - गंज और बराईपुर, परगना शिओपुर, तहसील- वाराणसी, जिला वाराणसी

Station Survey of Ancient Buddhist site known as Chaukhandi Stupa, village- Ganj & Baraipur, Pargana Sheopur, Tahsil-Varanasi, District Varanasi



स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई विकास योजना Developmental plan as available by the local authorities.



स्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र Pictures of the Monument and its surroundings



चित्र : 1, चौखंडी स्तूप के पूर्वी भाग का दृश्य

Figure 1, Views of East side of Chaukhandi Stupa



चित्र : 2, चौखंडी स्तूप का दृश्य

Figure 2 Views of Chaukhandi Stupa



चित्र : 3, चौखंडी स्तूप के आस-पास के क्षेत्र का दृश्य

Figure 3 picture showing surrounding of Chaukhandi Stupa



चित्र : 4, आस-पास का परिदृश्य

Figure 4, Surrounding landscaping



चित्र : 5, थाई मंदिर का चित्र

Figure 5 Picture of Thai temple



चित्र : 6, सरकारी भवन, सारनाथ का फोटोग्राफ

Figure 6, Photograph of Government building Sarnath



चित्र: 7, ओंग हितिके का चित्र

Figure 7 Picture of Aung Htike



चित्र : 8, अनमोल नगर में आवास का चित्र

Figure 8 Picture of residence in Anmol Nagar



चित्र : 9, बुद्ध नगर में आवास

Figure 9, Resident in Buddha Nagar



चित्र : 10, मवइयां, सारनाथ में गली के दृश्य वाला चित्र

Figure 10 Street view of Mavaiyan, Sarnath



चित्र : 11, अनमोल नगर, सारनाथ की गली का दृश्य

Figure 11 Picture showing street view of Anmol nagar, Sarnath



चित्र: 12, अनमोल नगर का दृश्य

Figure 12 View of Anmol nagar



चित्र : 13, झुग्गी-बस्ती का चित्र

Figure 13 Picture showing slum



चित्र : 14, पास के बाजार का चित्र

Figure 14 Picture showing nearby market